इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 मई 2011— ज्येष्ठ 4, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2011

क्र. बी-1-8-2011-2-पांच (16).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 3, सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में, उपनियम (4) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सीलबंद बोतलों के प्रदाय में या भाण्डागारों में सीलबंद बोतलों का यथा विहित न्यूनतम स्टाक बनाए रखने में अनुज्ञप्तिधारी के असफल रहने की दशा में या जब क्षेत्र के किसी भाण्डागार पर सीलबंद बोतलों का स्टाक इतना कम हो जाए कि सहायक आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी की राय में फुटकर विक्रेताओं की वास्तविक मांग की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती हों, तो आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी निकटवर्ती प्रदाय क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य प्रदाय क्षेत्र के सीएस 1ख अनुज्ञप्तिधारी से, व्यतिक्रमी (डिफाल्टिंग) अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत दर पर, बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय करने हेतु निदेशित कर सकेगा. यदि वैकल्पिक प्रदायकर्ता को स्वीकृत दर, व्यतिक्रमी प्रदायकर्ता की स्वीकृत दर से अधिक है तो व्यतिक्रमी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वैकल्पिक प्रदायकर्ता को अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी. एक से अधिक वैकल्पिक प्रदायकर्ता के देशी स्प्रिट प्रदाय करने हेतु इच्छुक होने की दशा में, न्यूनतम दर का प्रस्ताव करने वाले अनुज्ञप्तिधारी के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.".

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2011

क्र. बी-1-8-2011-2-पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-8-2011-2-पांच (16), दिनांक 25 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th May 2011

No. B-1-8-2011-2-V-(16).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5, in sub-rule (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) In the event of the licensee's failure to supply sealed bottles as required under these rules, or to maintain the minimum stock of sealed bottles at the warehouses as prescribed or when the stock of sealed bottles at any warehouses in the area falls so low that in the opinion of the Assistant Commissioner/ District Excise Officer the genuine demand of the retail vendors can not be fully met, the Assistant Commissioner/ District Excise Officer authorized by the Excise Commissioner may instruct adjacent supply licensee/licensees or adjacent CS 1 B Licensee of another supply area to supply bottled Country Spirit at the rate sanctioned to the defaulting licensee. If the rate senctioned to the alternate supplier is more than the rate sanctioned to the defaulting supplier, then the difference amount shall be reimbursed to the alternate supplier by the defaulter supply licensee. In case more than one alternate suppliers are willing to supply country spirit, then the offer of the licensee offering the lowest rate shall be considered.".

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.